भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 144
(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कामगारों के लिए बैंक खाते

144. श्री पीयूष गोयलः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी कामगारों के पास बैंक खाते नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे सभी कामगारों के बैंक खाते खोलने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी कामगारों का कब तक अपना बैंक खाता होगा?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (घ): दिनांक 18.08.2011 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत जारी किए गए जॉब कार्डों और एमजीएनआरईजीए कामगारों द्वारा वर्ष 2010-11 तक खोले गए बैंक खातों की कुल संख्या अनुबंध में दी गई है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने और एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए एमजीएनआरईजी अधिनियम की अनुसूची -II को संशोधित किया गया है ताकि बैंकों अथवा डाकघरों में संस्थागत खातों के जरिए कामगारों को मजदूरी के भुगतान को सांविधिक आवश्यकता बनाया जा सके। बैंक/डाकघर नेटवर्क की खराब कवरेज की वजह से छूट दिए जाने तक बैंकों अथवा डाकघरों में अपने व्यक्तिगत अथवा संयुक्त खातों के जरिए एमजीएनआरईजीए कामगारों को मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है। मजदूरी वितरण की संस्थागत पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए यह तय किया गया है कि राज्य सरकार रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित कर प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के साथ बैंकों के जरिए मजदूरी भुगतान करने के लिए बिजनेस कॉरेसपोंडेंट मॉडल लागू करे। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उन वंचित क्षेत्रों को निर्धारित करें जहां बीसी मॉडल लागू करने की आवश्यकता है और उपर्युक्त प्रक्रियाविधि के अनुसार बिजनेस कॉरेसपोंडेंट मॉडल करें। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि सभी एमजीएनआरईजीए कामगारों के बैंक खाते होंगे।

*****

राज्य सभा में दिनांक 22.11.2011 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 144 के उत्तर में उल्लिखित

अनुबंध

ण्मजीएनआरईजीए के अंतर्गत जारी किए गए जॉब कार्ड और खोले गए खाते					
क्र.सं.	राज्य	18.08.2011 तक जारी किए गए जॉब कार्ड	वर्ष 2010-11 तक खोले गए बैंक खातों की संख्या		कुल बैंक खाते
			व्यक्तिगत	संयुक्त	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11705605	1957469	0	1957469
2.	अरूणाचल प्रदेश	35359	7159	4871	12030
3.	असम	3840312	1470855	24459	1495314
4.	बिहार	11616435	1677200	84868	1762068
5.	छत्तीसगढ़	4187217	2518036	15551	2533587
6.	गुजरात	3920445	437489	612815	1050304
7.	हरियाणा	600058	215814	157307	373121
8.	हिमाचल प्रदेश	1060136	733068	40649	773717
9.	जम्मू व कश्मीर	475085	436428	14701	451129
10.	झारखंड	3954308	982878	203754	1186632
11.	कर्नाटक	5244434	3254451	425322	3679773
12.	केरल	1073655	627961	0	627961
13.	मध्य प्रदेश	11593788	4403699	1737318	6141017
14.	महाराष्ट्र	5899019	643592	37484	681076
15.	मणिपुर	352322	104876	1729	106605
16.	मेघालय	420555	15930	4856	20786
17.	मिजोरम	197361	31285	15566	46851
18.	नागालैंड	364228	0	1144	1144
19.	उड़ीसा	6049131	4047539	154654	4202193
20.	पंजाब	838044	418002	50738	468740
21.	राजस्थान	9922771	3813460	977390	4790850
22.	सिक्किम	75831	35170	4427	39597
23.	तमिलनाडु	7904122	8921886	83953	9005839
24.	त्रिपुरा	587916	61928	375736	437664
25.	उत्तर प्रदेश	13581459	7311290	1129971	8441261
26.	उत्तराखंड	979673	709376	73368	782744
27.	पश्चिम बंगाल	10841280	3220322	805219	4025541
28.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	6948	38513	1279	39792
29.	दादर व नगर हवेली	54902	13777	0	13777
30.	दमन व द्वीव	24264	0	0	0
31.	गोवा	63549	12207	38	12245
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
33.	पुडुचेरी	1	16409	0	16409
34.	चंडीगढ़	4	0	0	0
कुल		**117470217**	**48138069**	**7039167**	**55177236**